

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/रिफे./जोधपुर/2008/122

दिनांक: ३/ अक्टूबर, 2012

निदेशक,
अकादमी स्टाफ कॉलेज,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर

विषय: दिनांक: 19.11.2012 से 08.12.2012 तक भौतिकशास्त्र विषय पर आयोजित रिफेशर कोर्स बाबत्।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक: जेएनवीयू/एस.सी./2012/5839 दिनांक: 10.10.2012
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक: 019.11.2012 से 08.12.2012 तक भौतिकशास्त्र विषय पर आयोजित रिफेशर कोस में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	शिवाली चौहान	भौतिकशास्त्र	एम एस जे राज० महाठ, भरतपुर
2	जितेन्द्र कुमार चावला	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ, थानागांजी
3	महेन्द्र कुमार गौरा	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ, नीमकाथाना
4	दीपमाला मीणा	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ, बांरा
5	सुनील मीणा	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ झालवाड़
6	हितेश कुमार मिड्डा	भौतिकशास्त्र	राज० कन्धा महाठ, श्रीगगानगर
7	महेश कुमार गिंशा	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ, इन्दून्दूनु
8	हरिश कुमार सबलानिया	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ, नोहर
9	संदीप शर्मा	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ, इन्दून्दूनु
10	प्रकाश चन्द सिगारिया	भौतिकशास्त्र	आर आर राज० महाठ, अलवर
11	अनिल कुमार सिसोदिया	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ, पाली
12	शुभरा तिवारी	भौतिकशास्त्र	राज० महाठ, मण्डफिया

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र आप अपने रूपर पर भेजें तथा उन्हें कोर्स में उपरिथित एवं अनुपरिथित होने वाले व्याख्याताओं की सूची निदेशालय को भिजावायें। जिससे विषय अनुपरिथित रहने वाले व्याख्याताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,
दृष्टि निषाजी
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

क्रमांक: एफ ७(4)अकाद/निकाशि/रिफे./जोधपुर/2008/ 122 दिनांक: ३/ अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :—
 - (अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 19.11.2012 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
 - (ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफेशर कोर्स करना अनिवार्य है।
 - (स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से रिफेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही औरियेन्टेशन/रिफेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्रहित को देखते हुए अतिरिक्त कक्षाएं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।
2. संबंधित व्याख्याता — यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2013 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
5. डा० धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली ।

राजनीति
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर